वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

79

7.1 सरकार ने कर्मचारी भविश्य निधि ईझ््यऽझ्šü.झ् और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से वैधानिक ढांचे के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के अधिकांष कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। तथापि, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इस प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है जो कुल कार्य बल का लगभग 93 प्रतिषत है । श्रम कल्याण निधि की अवधारणा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक ईझ्र्füझ्µझ्त्त्झ्झ् उपायों को प्रदान करने के उद्देष्य से विकसित की गई थी। इस उद्देष्य के लिए संसद द्वारा बीड़ी उद्योग में नियोजित कामगारों, कतिपय गैर.कोयलाखानों और सिने कामगारों के लिए आवास, चिकित्सा, षिक्षा और मनोरंजनात्मक सुविधाएंमुहैया कराने के लिए पाँच कल्याण निधियां गठित करने हेतु अलग से विधान अधिनियमित किए गए हैं । इन निधियों का संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।
7.2 कल्याण निधियों कीयोजना नियोजक और कर्मचारी के विषिश्ट संबंधों के ढाँचे से अलग है, क्योंकि गैर.अंषदायी आधार पर सरकार द्वारा ईझ््यईझ्झ्¬झ्.झ् जुटाये जाते हैं ४झ््यय्ü ऽúझ्´झ्ऽझ्झ्य्ü ऽट्टú =µझ्Û॰त्त्झ्ऽझ्त्त्झ् ४्य{झ्¤üझ्.झ् ऽúझ्ट्ट ऽझ्झ्ट्ट›ट्टट्टü ×²झ्.झ्झ् ऽú»µझ्झ्ऽझ् ईझ्ट्ट=झ्झ्९ँ प्रदान ऽú” ऽझ्झ्त्त्झ्” र्f्यü्य३ कल्याण, निधियों की सैक्टोरियल पहुंच अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अतिरिä है, जिनकी क्षेत्रीय पहुँच है और जिनके लिये इनमें से अधिकांष कामगार भी पात्र हैं।
श्रम कल्याण निधियाँ

7.3 श्रम मंत्रालय ४झ््यय्ü य्üझ्ट्टऽझ्ऽझ्झ्य्ü ´झ््यँझ्झ्»झ्µझ् बीड़ी और सिने कामगारोंएवं गैर कोयला खान कामगारों की कतिपय श्रेणियों के लिए पाँच कल्याण निधियां संचालित कर रहा है। इन कामगारों के कल्याण के लिए निधियाँ संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन स्थापित की गई हैं.
ऽ अऽ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1946य
ऽ चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण
निधि अधिनियम, 1972य
ऽ लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क
श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976य

ऽ बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976य और
ऽ सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981

7.4 उपर्युä अधिनियमों मेंयह प्रावधानहै किकेन्द्रीय सरकार द्वारा इस निधि का उपयोग उन उपायों तथा सुविधाओं के संबंध में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जोऐसे कामगारों के कल्याण का प्रावधान करने के लिए आवष्यक हों । उपर्युä अधिनियमों में निर्धारित उपर्युä लक्ष्यों को प्रभावी बनाए जाने के उद्देष्य से स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, षिक्षा, आवास, मनोरंजन और जल.आपूर्ति के क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारीयोजनाएं तैयार की गयी हैंऔर वे संचालित की जा रही हैं ।
7.5 ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ †Öî¸ü ´ÖÖ-µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×-Ö•Öß †Ã¯ÖŸÖÖ»ÖÖêÓ •úß •Îêú×›ü™ü †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü Çü¤üµÖ, •Öã¤üÖÔ †Öî¸ü •ïúÃÖ¸ü ²Öß´ÖÖ×¸üµÖÖë •êú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´Öë •ÖÖ-Ö, ²Öß›Íß ×ÃÖ-Öê •úÖ´Ö•ÖÖ¸üÖë •úÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ‡»ÖÖ•Ö ´ÖãÆîüµÖÖ •ú¸üÖ-Öê ÆêüŸÖã ¯ÖÆü“ÖÖ-Ö •úß •Ö‡Ô Æîü ŸÖÖ×•ú »ÖÖ³Ö ³ÖÖê×•ÖµÖÖë •úÖê †Ã¯ÖŸÖÖ»ÖÖë ´Öë ×²Ö-ÖÖ ×•úÃÖß †×•ÖÏ´Ö ¸üÖ×¿Ö •úÖ ³Öã•ÖŸÖÖ-Ö ×•ú‹ ´ÖÓÆü•ÖÖ ‡»ÖÖ•Ö •ú¸üÖ-Öê ´Öë ÃÖ•Ö´Ö ²Ö-ÖÖµÖÖ •ÖÖ ÃÖ•êú … ÁÖ´Ö •ú»µÖÖ•Ö ÃÖÓ•Öšü-Ö •êú †ÓŸÖ•ÖÔŸÖ ÁÖ´Ö †ÖµÖãŒŸÖÖë •úÖê 2 »ÖÖ•Ö ºþ¯ÖµÖê ŸÖ•ú •êú ´Öê×›ü•ú»Ö ¤üÖ¾ÖÖë •úß ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖæÛŸÖÔ •ú¸ü-Öê •úß ¿ÖÛŒŸÖ ¯ÖÏ¤üÖ-Ö •úß •Ö‡Ô Æîü … ¯Ö×¸ü¾ÖÖ¸ü •ú»µÖÖ•Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¿Ö»µÖ ¯ÖÏ×•ÎúµÖÖ†Öë (-Ö»Ö²ÖÓ¤üß/-ÖÃÖ²ÖÓ¤üß) •êú ×»Ö‹ ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖæÙŸÖ ¸üÖ×¿Ö •úß ¸ü•ú´Ö •úÖê ü 200/-ºþ. ÃÖê ²ÖœÍüÖ•ú¸ 500/- ºþ ×•úµÖÖ •ÖµÖÖ Æüî … “Ö¿´ÖÖêÓ •úß •Ö¸üß¤ü •êú ×»Ö‹ ¤üß •ÖÖ-Öê ¾ÖÖ»Öß ×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ •úÖê 150/- ºþ. ÃÖê ²ÖœÍüÖ•ú¸ü 300/- ºþ. •ú¸ü ×¤üµÖÖ •ÖµÖÖ Æüî … ×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÆüÖµÖŸÖÖ •úß ¸üÖ×¿Ö ×-Ö´-Ö×»Ö×•ÖŸÖ •Ö×ŸÖ×¾Ö×¬ÖµÖÖë •êú ×»Ö‹ ²ÖœÍüÖ ¤üß •Ö‡Ô Æîü:-

ÿ ŸÖß-Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ŸµÖÖîÆüÖ¸üÖêÓ •úÖê ´Ö-ÖÖ-Öê •êú ×»Ö‹ ¬Ö-Ö¸üÖ×¿Ö
1000/- ºþ. ÃÖê ²ÖœÍüÖ•ú¸ü 2500/- ºþ. •úß •Ö‡Ô Æîü…

ÿ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö•ú •Ö×ŸÖ×¾Ö×¬ÖµÖÖë (ÃÖÖŸÖ ˆŸÃÖ¾Ö) •êú †ÖµÖÖê•Ö-Ö
ŸÖ£ÖÖ ´Ö-ÖÖ-Öê ÆêüŸÖã ¬Ö-Ö¸üÖ×¿Ö 7000/- ºþ. ÃÖê ²ÖœÍüÖ•ú¸ü
14000/- ºþ †£ÖÖÔŸÖ 2000/- ºþ. ¯ÖÏ×ŸÖ ˆŸÃÖ¾Ö
•ú¸ü ¤üß •Ö‡Ô Æîü …

श्रम कल्याण 7

7.6 संशोधित एजीकृत आवास योज-ाा, 2005 (आरआईएचएस, 2005) जा उद्देश्य मुज्य रूप से बीड़ी जामजारों जो पेश आ रही आवासीय दिक्जतों जो जुछ हदतज दूर जर-ाा था । संबंधित जेत्रों जे जल्याज आयुक्तों द्वारा पूर्व में इस मंत्रालय जे एजीकृत आवास योज-ाा जा पर्यवेजज तथा -िजरा-ी जा जार्य जिया जाता था जिसजो 25 मई, 2005 से आशोधित जिया जया था जिसमें राज्य सरजारों जो क्रिया-वय-ा, -िजरा-ी तथा पर्यवेजज जी शक्तियां प्रदा-ा जी जई थी । इस व्यवस्था जी समीजा जे लिए एज मूल्यांज-ा समिति जा जठ-ा जू-ा, 2006 में जिया जया था । इस समिति जी सिफारिशों जे आधार पर यह अ-ुमा-ा लजाया जया जि इस योज-ाा जे उद्देश्यों जो प्राप्त -ाहीं जिया जा सजा है। परिजामत:, जे-द्रीय वित्त मंत्रालय (व्यय विभाज) जे सहमति से यह -िर्जय लिया जया जि योज-ाा जे प्रचाल-ा, पर्यवेजज तथा प्रभावी -िजरा-ी rFkk नियंत्रज जे लिए क्रिया-वय-ा एजे-सी श्रम और रोजजार मंत्रालय जे महा-िदेशज, श्रम जल्याज होंजे जो संबंधित जेत्रों जे जल्याज आयुक्तों जे माध्यम से जार्य -िष्पाद-ा जरेंजे । संबंधित जल्याज आयुक्त बीड़ी जामजारों जी पात्रता जी पहचा-ा, उ-ाजे आवेद-ाों जा संग्रहज एवं जांच तथा दी जई चैजलिस्ट में पात्र जामजारों जे विवरज जे साथ जामजारों जे लिए ग्रुप हॉउसिंज जॉलो-ी जा सहाजारी समिति द्वारा -िर्माज या जिसी व्यक्तिजत बीड़ी जामजार द्वारा मजा-ा -िर्माज हेतु एवं बीड़ी जामजारों जे मजा-ा -िर्माज जे लिए आर्थिज रूप से जमजोर वर्ज (ईडब्ल्यूएस) जे तहत संबंधित राज्य सरजारों से प्राप्त प्रस्तावों जो महा-िदेशज, श्रम जल्याज (डीजीएलडब्ल्यू), श्रम और रोजजार मंत्रालय, भारत सरजार, -ाई दिल्ली जो प्रति जामजार प्रति मजा-ा 40,000/- रू. जी एज समा-ा जे-द्रीय आर्थिज सहायता जे प्रशासनिज अ-ुमोद-ा जे अ-ुदा-ा जे लिए भेजेजा । संशोधित योज-ाा, जो जि 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा अ-ुमोदित जर दिया जया है एवं इसे संशोधित एजीकृत आवास योज-ाा 2007(आरआईएचएस-2007) जा -ााम दिया जया है । इस योज-ाा जे लाभ अप-ो संबंधित जामजार जल्याज -िधियों जे तहत जैर-जोयला खा-ा जामजारों जो भी मिलेंजे जो लौह अयस्ज खा-ाों, मैज्गीज अयस्ज खा-ाों एवं क्रोम अयस्ज खा-ाों (आईओएमसी) तथा चू-ाा पत्थर अयस्ज खा-ाों, डॉलोमाइट अयस्ज खा-ाों और अभ्रज अयस्ज खा-ाों में जार्यरत हैं ।

7.7 संशोधित योज-ाा जे अंतर्जत 5000/- रू. जे जामजार अंशदा-ा जो इस मंत्रालय द्वारा प्रशासनिज अ-ुमोद-ा जे बाद जमा जिया जाएजा -ा जि आयोज-ा जमा जर-ो जे समय । 20,000/- रू. जी पहली जिश्त, अग्रिम आर्थिज सहायता जे रूप में, जामजार अंशदा-ा जी प्राप्ति जे बाद मुक्त जी जाएजी। योज-ाा में आर्थिज सहायता महा-िदेशज श्रम जल्याज (डीजीएलडब्ल्यू) द्वारा 50:50 जे आधार पर दो जिश्तों में (ज) जिसी जामजार द्वारा व्यक्तिजत रूप से मजा-ा -िर्माज जे लिए या ग्रुप हाऊसिंज योज-ाा (जीएचएस) जे तहत सहजारी समिति द्वारा मजा-ा -िर्माज जे मामले में संबंधित जेत्र जे जल्याज आयुक्त जो और (ज) योज-ाा में आर्थिज रूप से जमजोर वर्ज (ईडब्ल्यूएस) जे तहत मजा-ा -िर्माज जे लिए संबंधित राज्य सरजार जो भुजता-ा जिया जाएजा, जो छोड़जर अ-य सेवा-शर्तें अपरिवर्तित रहेंजी। 20,000/- रू. प्रति मजा-ा आर्थिज सहायता जी पहली जिश्त, आर्थिज सहायता अग्रिम जे रूप में महा-िदेशज श्रम जल्याज द्वारा छत स्तर तज मजा-ा -िर्माज जे उद्देश्य जे लिए प्रशासनिज अ-ुमोद-ा जे अ-ुदा-ा जे समय मुक्त जी जाएजी । बजाया 50 प्रतिशत अर्थात् जुल आर्थिज सहायता में से 20,000/- रू. जी दूसरी जिश्त जार्य जी 50 प्रतिशत उन्नति अर्थात् महा-िदेशज, श्रम जल्याज जो -िर्माज जार्य जो हर तरह से पूरा जर-ो जे उद्देश्य से उस जार्य जे छत स्तर तज पहुंच-ो जी रिपोर्ट जी जाती है, जे समय मुक्त जी जाएजी । संशोधित एजीकृत आवास योज-ाा (आरआईएचएस) जे अंतर्जत पिछले ती-ा सालों जे दौरा-ा दी जई मजा-ाों जी मंजूरी जा विवरज -िम्-ाांजित है:-

वित्तीय वर्ष	मंजूर जिए जए मजा-ाों जी संज्या
2005-06	10,862
2006-07	18,750
2007-08	
(16.11.2007 तज)	10,675

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

81

7.8 ५ईझ्ऽट्टú ४×त्त्झ्×य्ü॰त्त्झ् ऽझ्झ्.झ् ऽúझ्´झ्ऽझ्झ्य्üझ्ट्ठ ऽट्टú ×»झ्९ न्न्üझ्५झिं् प्
४झ््यय्ü न्न्üझ्५झिं्.प्प् ४झ्=झ्झ्ईझ् µझ्झ्ट्टऽझ्.झ्झ् ऽट्टú ४्यत्त्झ्ऽझ्ड्ढत्त्झ् ऽझ्झ्.झ् झ्ड्डिं²झ््य¬झ्.झ्झ्ट्ठ ऽúझ्ट्ट झ्ड्डिं×त्त्झ् ४झ्=झ्झ्ईझ् ५ऽúझ्५ड्ढ ह्þण् 40,000ध्. ९=झ््य ह्þण् 50,000ध्. ऽú” ¤üय्ü ईझ्ट्ट µझ्झ् ×.झ्´झ्झ्ड्ढऽझ् ऽú” =झ्झ्ईत्त्झ्×=झ्ऽú »झ्झ्ऽझ्त्त्झ् ऽúझ् 75ःए झ्ड्डिं×त्त्झ् ´झ्ऽúझ्.झ्ए ऽझ्झ्ट्ट ङझ्” ऽú´झ् र्füझ्ट्टए ४झ्त्त्£झ्ऽú ईझ्र्füझ्µझ्त्त्झ्झ् झ्ड्डिं¤üझ्.झ् ऽú” ऽझ्झ्त्त्झ्” र्f्यü ३ ×झ्षिं्û»झ्ट्ट =झ्Âझ्ड्ढ 2006.07 ऽट्टú ¤üझ््यय्üझ्.झ् ४झ्५ड्ढ४झ्ट्ट९´झ्ईझ्” ऽट्टú ४्यत्त्झ्ऽझ्ड्ढत्त्झ् 20 ´झ्ऽúझ्.झ् ;न्न्üझ्५झिं्.प्द्धए 30 ´झ्ऽúझ्.झ् न्न्üझ्५झिं्.प्प् ९=झ््य ९»झ्९ईझ्›ü”९´झ् ऽट्टú ४्यत्त्झ्ड्ढऽझ्त्त्झ् 8 ´झ्ऽúझ्.झ् ;न्न्üझ्५झिं्.प्प्द्ध ´झ््यऽझ्द्रय्ü” ¤ü” ऽझ्५ड्ढ३

7.9 ²Öß›Íüß •úÖ´Ö•ÖÖ¸ü •ú»µÖÖ•Ö ×-Ö×¬Ö (²Öß›ü²»µÖæ›ü²»µÖæ‹±ú)
•êú †ÓŸÖ•ÖÔŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ Æü•ÖÖ¸ü ²Öß×›ÍüµÖÖë ¯Ö¸ü 5 ºþ. •úß ¤ü¸ü ÃÖê ‹•ú¡Ö ×•ú‹ •Ö‹ ˆ¯Ö•ú¸ü ÃÖê ²Öß›Íüß •úÖ´Ö•ÖÖ¸üÖë •úß •ú»µÖÖ•Ö •Ö×ŸÖ×¾Ö×¬ÖµÖÖë •úÖê ¯Öæ¸üÖ ×•úµÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æüî … ×¯Ö”û»Öê ¤üÖê ÃÖÖ»ÖÖë •êú ¤üÖî¸üÖ-Ö ²Öß›Íüß ¯Ö¸ü ˆ¯Ö•ú¸ü •úß ¤ü¸ü •úÖê ¯ÖÏ×ŸÖ Æü•ÖÖ¸ü ²Öß×›ÍüµÖÖë ¯Ö¸ü 2 ºþ. ÃÖê ²ÖœÍüÖ•ú¸ü 5 ºþ. •ú¸ü ×¤üµÖÖ •ÖµÖÖ Æîü…

7.10 श्रम कल्याण संगठनजो इन निधियों का संचालन
करता है उसके प्रमुख महानिदेषक;श्रम कल्याणद्ध/संयुä सचिव हैं। उन्हें इन निधियों के संचालन में सहायता के प्रयोजन से कल्याण आयुä ;मुख्यालयद्ध हैं जो नौ क्षेत्रीय कल्याण आयुä का पर्यावेक्षण करते हैं। प्रत्येक कल्याण आयुä के क्षेत्राधिकार को सारणी 7.1 में दर्षाया गया है। सलाहकार समितियां और उनकी बैठकें
7.11 उपर्युä निधियों के संचालन से संबंधित मामलों
में केन्द्रीय सरकार को सलाह देनेके लिए संबंधितकल्याण निधि अधिनियमों के अधीन त्रिपक्षीय केन्द्रीय सलाहकार समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों की अध्यक्षता केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा नामित अध्यक्ष करते हैं। बीड़ी कामगार कल्याण निधि और सिनेमा कामगार कल्याण निधि में 21 सदस्य होते हैं, केन्द्रीय सरकार, नियोजकों के संगठनों और कर्मचारी संगठनों से, प्रत्येक से 7 सदस्य लिए जाते हैं और लौह अयस्क मैगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि तथा चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति और बीड़ी कामगार कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति में 18 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष व सचिव को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार, नियोजकों के

संगठनों व कर्मचारी संघों से, प्रत्येक से 6 सदस्य लिए जाते हैं।
7.12 बीड़ी कामगार कल्याण निधि और लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि और »झ्झ्५´झ्ईन्न्üझ्ट्ट.झ् ९=झ््य ›üझ्ट्ट»झ्झ्´झ्झ्५न्न्ü ऽझ्झ्.झ् प्रझ्´झ् ऽú»µझ्झ्ऽझ् ×.झ्×¬झ् ऽट्टú ईझ््य²झ््य¬झ् ´झ्ट्ठ केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठकझ्ट्ट्य का आयोजन ऽट्ठú´झ्{झ्रू 7 ऽझ्द्र.झ्ए 2007ए 27 ×ईझ्त्त्झ्´²झ्य्üए 2007 ९=झ््य 10 ४॰न्न्द्रü²झ्य्üए 2007 को किया गया।
उपकर लगाना
7.13 श्रम कल्याण निधियों का वित्त पोशण, विनिर्मित बीड़ी, फीचय्ü फिल्मों, अऽ्रक निर्यात, चूना पत्थर और डोलोमाइट उपभोग तथा लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क एवंक्रोम अयस्कउपभोगऔरनिर्यात परसंबंधितउपकर/ निधि अधिनियमों के अंतर्गत नीचे दर्षाई गई दरों के अनुसार लगाए गए उपकर की आय से किया जाता है.
ऽ बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1976 के
अधीन विनिर्मित बीड़ियों पर उत्पाद षुल्क केरूप में 1 रुपये से 5 रुपये प्रति हजार विनिर्मित बीड़ियों पर उपकर लेने की व्यवस्था है। अब 1.4.2006 से 1000 विनिर्मित बीड़ी पर षुल्क 5 रुपये है ।
ऽ सिने कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 के
अधीन अध्यक्ष, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्डको प्रत्येक फीचर फिल्म प्रस्तुत किए जाने पर कम.से.कमएक हजार रुपये उत्पाद षुल्क निर्धारित किया गया है। इस उत्पाद षुल्क की अधिकतम सीमा बीस हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकती। 20.04.2001 से प्रत्येक हिन्दी और अंगरेजी फीचर फिल्म के लिए यह 20,000 रुपये और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 10,000 रुपये प्रति फिल्म है ।
ऽ लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क,
खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क के लिए क्रमषः 50 पैसे सेएक रुपया तथाएक रुपये से 6 रुपये और 3 रुपये से 6 रुपये के बीच उपकर की व्यवस्था है । लौह अयस्क पर उपकर की दर 1

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

82

तालिका 7.2
कल्याण ×.झ्×¬झ्µझ्झ््य
‹•ú¡Ö•Ö ‹¾ÖÓ •Ö“ÖÖÔ
(ºþ¯ÖµÖê •ú¸üÖê›Íü ´Öë)
2006-2007 2007-2008(†Œ™æü²Ö¸ü,2007 ŸÖ•ú)
कल्याण निधियों का उपयोग 153.06 107.55
उपकरएकत्रीकरण 163.75 132.26
स्वास्थ्य देखरेख प्रसुविधा
पर व्यय

42.34 26.73

आवास के लिए स्वीकृत
सहायता

57.46 9.77

श् ौक्षिक सहायता पर व्यय 47.13 66.84
मनोरंजन सुविधाओं पर व्यय 0.66 0.38

रुपये प्रति मीट्रिक टन है । 11.09.2001 मैंगनीज
अयस्क परयह 4 रुपये प्रति मीट्रिक) और क्रोम
अयस्क पर 6 रुपये प्रति मीट्रिक टन है।
ऽ चूना पत्थर और खान श्रम कल्याण निधि
अधिनियम,1972 मेंऐसी दर पर चूना पत्थर और
डोलोमाइट पर उपकर लगाने औरएकत्र करने की व्यवस्था है जो चूना पत्थर और डोलोमाइट के प्रति मीट्रिक टन परएक रुपये के उत्पाद षुल्कसे अधिक
न हो। 27.12.2000 से चूना पत्थर और डोलोमाइट

पर उपकर की दरएक रुपया है।
ऽ अऽ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 में 6.25 प्रतिषत से अनधिक नहीं, समतुल्य आधार
पर अऽ्रक निर्यात की सभी किस्म के अऽ्रक पर सीमा षुल्क केरूप में उपकर की लेवी और वसूली की व्यवस्था है। 01.11.1990 से निर्यात परयह 4.5 प्रतिषत के समतुल्य है।
7.14 ऽúल्याण निधियों की संक्षेप में उपलब्धियां
तालिका 7.2 में दी गई हैं ।

तालिका 7.1
कल्याण आयुä और उनके क्षेत्राधिकार
क्रण्संण् क्षेत्र का नाम क्षेत्राधिकार में शामिल राज्य
1ण् कल्याण आयुä, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश,हिमाचल प्रदेश,पंजाब,जम्मूएवं कश्मीर और
उत्तरांचल
2ण् कल्याण आयुä, बंगलौर कर्नाटक और केरल
3ण् कल्याण आयुä, अजमेर गुजरात,राजस्थान और हरियाणा
4ण् कल्याण आयुä, भुवनेश्वर उड़ीसा
5ण् कल्याण आयुä, कोलकाता पण्बंगाल,असम,त्रिपुराएवं मेघालय
6ण् कल्याण आयुä, हैदराबाद तमिलनाडु और आन् प्रदेश
7ण् कल्याण आयुä, जबलपुर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
8ण् ऽú»µझ्झ्घ्ऽझ् ४झ्µझ्ह्म॰त्त्झ्ए ऽú´झ्झ्ड्ढ बिहार और झ्ाारखंड
9ण् कल्याण आयुä, नागपुर महाराष्ट्रएवं गोवा